



A-47

केन्द्रीय विद्यालय ब्यावर  
KENDRIYA VIDYALAYA BEAWAR  
N.H.No.08, Singhadiya Link Road,  
ब्यावर-305901, जिला-अजमेर ( राज.)  
Beawar-305901, Distt.Ajmer (Raj.)

दूरभाष/TELEPHONE : 01462-223723 FAX No. 01462-223722 Website : www.kvbeawar.org. E-Mail: newkvbeawar@rediffmail

F. NO. KV/BWR/A-47/2018-19/12

DATED : 04-04-2018

सेवा में,  
श्रीमान् उपायुक्त,  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
92, गांधीनगर मार्ग, बजाज नगर,  
जयपुर- 302015 (राजस्थान)  
विषय :- जनवरी से मार्च, 2018 तक समाप्त तिमाही की हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि स्थानीय विद्यालय की जनवरी से मार्च, 2018 तक समाप्त तिमाही की हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट, प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'च' राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले प्रपत्रों का विवरण एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही बैठक के कार्यवृत्त सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

धन्यवाद।

भवदीय

21/4/18  
(राजेश कथारिया)  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय, ब्यावर

संलग्न:-

1. जनवरी से मार्च, 2018 तक समाप्त तिमाही की हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट।
2. प्रपत्र 'क'
3. प्रपत्र 'च'
4. राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले प्रपत्रों का विवरण।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

क. य. र.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

जनवरी से मार्च 2018 को समाप्त

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

केन्द्रीय विद्यालय का नाम और पूरा पता :- केन्द्रीय विद्यालय, ब्यावर (अजमेर), एन.एच. नं. 08, सिंघाड़िया लिंक रोड, ब्यावर-305901 जिला-अजमेर, राजस्थान।

प्राचार्य का नाम :- श्री राजेश कंधारिया, फोन न0 एसटीडी कोड :- 01462 फोन न0 :- 223722

ई-मेल :- [newkvbeawar@rediffmail.com](mailto:newkvbeawar@rediffmail.com)

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात \*

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	-	02
(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात	-	शून्य
(ग) इनमें से केवल हिंदी में जारी किए गए कागजात	-	02

\* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेण्डर, नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि हैं।

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम -5)

(क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	-	132
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	-	शून्य
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर नहीं दिए गए	-	52 *

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' ए 'ख' क्षेत्र में स्थिति कार्यालयों के लिए )

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए
क क्षेत्र को	108	108
ख क्षेत्र को	01	01

4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्यौरा -

	हिंदी	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए कुल पत्रों की सं0	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत	पिछली तिमाही में हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत	अगर वर्तमान तिमाही में पत्राचार प्रतिशत में कमी आई है तो कारण बजाए
क क्षेत्र को	188	00	188	100%	100%	कुछ नहीं
ख क्षेत्र को	00	00	00	100%	100%	कुछ नहीं
ग क्षेत्र को	01	00	01	100%	100%	कुछ नहीं
कुल	189	00	189	100%	100%	कुछ नहीं

\* शेष पत्रों के उत्तर देने अपेक्षित नहीं थे।

भाग II

केंद्रीय विद्यालय ब्यावर (अजमेर)

(इस भाग में सूचनाएं पूरे वित्तीय वर्ष की दी जाए। इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग -I के साथ भेजा जाए)

1 (i)	क्या विद्यालय राजभाषा नियम 10 (4) (अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80 प्रतिशत को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ?	हां/नहीं
		हाँ

2. अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी के ज्ञान की स्थिति -

1. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी न्यूनतम अथवा अधिकतम पढाई हिंदी माध्यम से नहीं की है अर्थात जिन्होंने हिंदी को सिर्फ एक विषय के रूप में पढा हो उनकी संख्या कार्यसाधक ज्ञान में आएगी ।
2. जिन अधिकारियों /कर्मचारियों ने अपनी न्यूनतम अथवा अधिकतम पढाई हिंदी माध्यम से की है वह हिंदी में प्रवीण माने जाएंगे और उनकी संख्या प्रवीणता प्राप्त कॉलम में आएंगी तथा दोनों का कुल योग ही कुल संख्या होनी चाहिए।
3. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ऐसी घोषणा कर दे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसे प्रवीण मान लिया जाएगा और उसे प्रवीणता प्राप्त वाले कर्मचारियों में गिना जाएगा।

			अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
			1	2	3
2 (i)	(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या (समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर )	01	25	26
	(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (मैट्रिक/प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य/उच्चतर स्तरपर हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण किए ) अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	00	00	00
	(ग)	उपर्युक्त (ख) में से हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/हिंदी माध्यम से मैट्रिक /उसके समतुल्य/उससे उच्चतर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हुए अथवा हिंदी के वैकल्पिक विषय सहित स्नातक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	01	25	26
	(घ)	उपर्युक्त 'क' में से (ख) और (ग) को घटाते हुए कितने कर्मी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा चुके हैं ।	00	00	00
	(ङ)	हिंदी भाषा का प्रशिक्षण जिन्हें दिया जाना शेष हो उनकी संख्या (इसमें वह अधिकारी/कर्मचारी आएंगे जिनकी मात्र भाषा हिंदी नहीं है और जिन्होंने प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण कोर्स नहीं किया है)	00	00	00

4. कंप्यूटर आदि से संबंधित विवरण -

		विद्यालय में कुल कितने कंप्यूटर हैं (कंप्यूटर लैब सहित )	कितनों में यूनीकोड है	शेष की स्थिति
		1	2	3
4 (i)	कंप्यूटर/लैपटाप	41	41	शून्य

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र फार्म आदि -

	कुल संख्या	द्विभाषी/हिंदी	केवल अंग्रेजी में
	1	2	3
(क) अधिनियम/नियम, कार्यालयीन कोड/ मैनुअल प्रक्रिया साहित्य, आदि )	02	02	00
(ख) मानकीकृत प्रपत्र	14	14	00

6. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत वर्तमान स्थिति के अनुसार कितने कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट कर उन्हें प्राचार्य द्वारा आदेश पत्र जारी किया गया है (पिछले एक वर्ष में) :- 26

(क) कुल कर्मचारियों की संख्या जो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हों (उपर बिन्दु 2 से जानकारी दें) :- 26

(ख) इनमें से कितनों को अभी तक 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है :- 26

7(क) हिंदी भाषा में प्रशिक्षण की स्थिति - (जिनकी मात्र भाषा हिंदी नहीं है, उनके लिए)

हिंदी भाषा में प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	वर्ष में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
शून्य	शून्य

(ख) विद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण -

(i) हिंदी माध्यम में आयोजित :- 04

(ii) मिली जुली भाषा में आयोजित :- शून्य

13. विद्यालयों में हिंदी के पदों की स्थिति -

पदनाम	पदों की संख्या		कब से रिक्त है
	स्वीकृत	रिक्त	
पी.जी.टी. (हिन्दी)	01	शून्य	शून्य
टी.जी.टी. (हिन्दी)	00	शून्य	शून्य

14. वेबसाइट की स्थिति -

वेबसाइट का पता	आंशिक रूप से हिंदी में	पूरी तरह से द्विभाषी रूप में
1	2	3
www.kvbeawar.org	नहीं	हाँ, द्विभाषी

15. विभाग/ संगठन के हिंदी के प्रसारार्थ विशिष्ट उपलब्धियों तथा सफल अभिनव प्रयोगों का संक्षिप्त ब्यौरा :-

कम्प्यूटर पर यूनिकोड फॉन्ट में हिन्दी टंकण कराया गया ।

16. हिंदी के प्रगामी प्रसार के लिए सुझाव :- केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय से एक-एक कर्मचारी को प्रशिक्षण दिलवाने की योजना बनाई जाए ।

17. वर्ष के दौरान (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की जानकारी सहित) जारी विज्ञापन एवं प्रचार पर किए गए व्यय की जानकारी

- (i) हिंदी के विज्ञापन पर व्यय - 6187.00 रुपये
- (ii) अंग्रेजी के विज्ञापन पर व्यय - कुछ नहीं
- (iii) अन्य भाषाओं के विज्ञापन पर व्यय - कुछ नहीं
- (iv) कुल योग - 6187.00 रुपये

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -

अध्यक्ष का नाम :- राजेश कथारिया

पदनाम :- प्राचार्य

फोन न० :- 01462 - 223722

फैक्स न० :- 01462 - 223723

ईमेल का पता :- [newkvbeawar@rediffmail.com](mailto:newkvbeawar@rediffmail.com)

नोट - यह रिपोर्ट विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी। कोई भी कॉन्सम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

केंद्रीय विद्यालय, ब्यावर (अजमेर) की राजभाषा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (जनवरी से मार्च 2018 तक)

क्र. सं.	कार्यालय/ विद्यालय का नाम	क्या राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचित है?	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13						
			कुल कार्य साधक ज्ञान प्राप्त	प्रवीणता प्राप्त	व कार्य साधक ज्ञान प्राप्त	प्रवीणता प्राप्त	कुल कार्य साधक ज्ञान प्राप्त	प्रवीणता प्राप्त	कुल हिंदी में प्रविष्टियों की जा रही है	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी	अंग्रेजी/ हिंदी/ द्विभाषी				
1	केन्द्रीय विद्यालय, ब्यावर	हाँ	27	1	26	100%	26	1	0	1	26	26	14	0	14	0	28	0	28	14	0	14	41	41	1	1	0

\* शिक्षकों के संबंध में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त (अर्थात् कार्यालय कार्यों के लिए)।

\*\* रिपोर्ट में सर्वप्रथम समस्त अधीनस्थ के.वि.का विवरण एवं अंत में उपर्युक्त कॉलम के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वयं के आँकड़े भी दिए जाएं

*(Handwritten Signature)*  
 प्राचार्य के.वि. ब्यावर एवं मोहर  
 (Date: 12/03/2018)  
 (Page: 1/1)

केंद्रीय विद्यालय, ब्याबर (अजमेर) की राजभाषा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (जनवरी से मार्च 2018)

क्र.सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	क्या वर्ष में कोई पत्रिका प्रकाशित की गई, यदि हाँ तो हिंदी एवं अंग्रेजी में कितने-कितने पृष्ठ प्रकाशित किए गए	14		15		16		17		18		19		20				21		22		तिमाही में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (केवल 'क' व 'ख' क्षेत्र के लिए)	
			हिंदी पृष्ठ	अंग्रेजी पृष्ठ	बैठक के आयोजन की तिथि	बैठक के आयोजन करने की तिथि	कार्यवृत्त जारी करने की तिथि	कुल खर्च राशि	हिंदी पुस्तकें खरीदने पर खर्च राशि	हो	हो या नहीं	यदि हाँ तो कब से लागू है	शे. का. में के. वि. से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	शे. का. द्वारा के. वि. को समीक्षा रिपोर्ट भेजने की तारीख	के. वि. का तिमाही में पत्राचार का %	धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजान	राजभाषा नियम - 5 (हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना) का अनुपालन हो रहा है, यदि नहीं तो शे. का. द्वारा क्या कार्रवाई की गई	कुल हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या	हिंदी में उत्तरित पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में उत्तरित पत्रों की संख्या	कुल हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या		
1	केंद्रीय विद्यालय, ब्याबर	43	17	23.11.2017	24.11.2017	9866	5237	हो	हो	01.04.2017	15.01.2018	05.02.2018	237	0	237	100%	0	0	0	131	131	80	80	

\* शिक्षकों के संबंध में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त (अर्थात् कार्यालय कार्यों के लिए)।

\*\* रिपोर्टों में सर्वप्रथम समस्त अधीनस्थ के. वि. का विवरण एवं अंत में उपर्युक्त कौलम के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वयं के आँकड़े भी दिए जाएं

\* राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत - सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञापितियां/टिप्पणियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फॉर्म और नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के एक सदन में या दोनों सदन में या दोनों सदन में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, (संसद के एक सदन में या दोनों सदन में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा) दस्तावेज सम्मिलित है


प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर

(12/02/2018)  
प्राचार्य  
(12/02/2018)

केन्द्रीय विद्यालय, ब्यावर-305901

तिमाही- जनवरी से मार्च, 2018 तक

क्रमांक	राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले पत्रों का विवरण	द्विभाषी रूप में जारी कुल पत्रों की संख्या	केवल अंग्रेजी में जारी पत्रों की संख्या
1	संकल्प (Resolutions)	00	-
2	सामान्य आदेश (General Order)	00	-
3	नियम (Rules)	-	-
4	अधिसूचनाएं (Notifications)	-	-
5	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें (Administrative and others reports)	-	-
6	प्रेस विज्ञप्ति (Press Communiques)	02	-
7	संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative and others reports to be laid before the parliament)	-	-
8	संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागज़-पत्र (Govt. Papers to be laid before the parliament)	-	-
9	संविदाएं (Contracts)	00	-
10	करार (Agreement)	00	-
11	अनुज्ञापितियां (Licence)	00	-
12	अनुज्ञा पत्र (Permit)	00	-
13	टेंडर नोटिस (Tender Notice)	00	-
14	टेंडर फॉर्म (Tender Form)	-	-
	योग	02	-

  
 प्राचार्य के हस्ताक्षर  
 (रमेश क. शर्मा)  
 प्राचार्य  
 केन्द्रीय विद्यालय, ब्यावर